

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2016/माघ 5, 1937

No. 60]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2016/MAGHA 5, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 104(अ).-भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 30 अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2015 के पृष्ठ 2 की पंक्ति 23 में “अनुसूची म के” के स्थान पर “अनुसूची म में,” पढ़ें।

[फा.सं. X-11014/4/2014-डी.एफ.क्यू.सी]

कुंदन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th January, 2016

G.S.R. 104(E).- In the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare, number G.S.R. 826 (E), dated the 30th October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) on 30th October, 2015, at page 4, in line 1, for “Schedule”, read “Schedule Y”.

[F.No. X-11014/4/2014-DFQC]

K.L. SHARMA, Jt. Secy.